



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062022-236276
CG-DL-E-03062022-236276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944

No. 284]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना सं. 137

नई दिल्ली, 25 मई, 2022

सं. ईपी.1(7)/2015.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में और संशोधन के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ:

- ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (.....वां संशोधन) विनियम, 2022 कहलाएंगे।
- ये सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसा कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964, तथा भारतीय खाद्य निगम) कर्मचारीवृन्द (विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 (परिशिष्ट- I) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं -

(क) भाग- I विशेष पद

13. महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)

कॉलम 7 में उल्लेख किए जाने शब्दों को निम्नलिखित के साथ बदल दिया गया है:

अनिवार्य:

(1) एआईसीटीई / यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष संस्थान से न्यूनतम 04 वर्ष की अवधि के सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री (या समकक्ष, दोहरी डिग्री प्रोग्राम्स सहित)।

अथवा

सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्थागत परीक्षा के सेक्शन ए और बी में उत्तीर्ण।

तथा

(2) सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग कार्यों में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से:

(क) आईडीए वेतनमान 80000-220000(ई-5) (अथवा उच्चतर) में न्यूनतम 04 वर्ष का अनुभव

अथवा

(ख) सीडीए वेतनमान (अथवा उच्चतर) के स्तर 12 में न्यूनतम 04 वर्ष का अनुभव

वांछनीय:

(1) एआईसीटीई / यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / समकक्ष संस्थान से सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के साथ खाद्यान्न गोदामों / सड़कों / भवन परियोजनाओं / खाद्यान्नों साइलो आदि के डिजाइन और निर्माण का विशेष ज्ञान।

(2) औद्योगिक प्रतिष्ठानों/पीएसयू के इंजीनियरिंग डिवीजन का स्वतंत्र प्रभार रखने वाले और परियोजनाओं की प्लानिंग और निष्पादन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

(ख) भाग- IX- इंजीनियरिंग संवर्ग

1. महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)

अनिवार्य:

(1) एआईसीटीई / यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्थान से न्यूनतम 04 वर्ष की अवधि के सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री (या समकक्ष, दोहरी डिग्री प्रोग्राम्स सहित)।

अथवा

सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्थागत परीक्षा के सेक्शन ए और बी में उत्तीर्ण।

तथा

(2) सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग कार्यों में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से:

(क) आईडीए वेतनमान 80000-220000 (ई-5) (या उच्चतर) में न्यूनतम 04 वर्ष का अनुभव

अथवा

(ख) सीडीए वेतनमान (अथवा उच्चतर) के स्तर 12 में न्यूनतम 04 वर्ष का अनुभव

वांछनीय:

(1) एआईसीटीई / यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / समकक्ष संस्थान से सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के साथ खाद्यान्न गोदामों / सड़कों / भवन परियोजनाओं / खाद्यान्नों साइलो आदि के डिजाइन और निर्माण का विशेष ज्ञान।

(2) औद्योगिक प्रतिष्ठानों/पीएसयू के इंजीनियरिंग डिबीजन का स्वतंत्र प्रभार रखने वाले और परियोजनाओं की प्लानिंग और निष्पादन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

एम. के. गोगोई, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./104/2022-23]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए।

क्र.सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (पांचवा संशोधन) 2021	08.12.2021
2.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (छठवां संशोधन) 2021	15.12.2021
3.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (सातवाँ संशोधन) 2021	30.12.2021
4.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (आठवा संशोधन) 2022	24.01.2022

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO. 137

New Delhi, the 25th May, 2022

No. EP.1(7)/2015 – In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

- These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (..... Amendment) Regulations, 2022.
- These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following amendments are made in Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 (Appendix-I):

(a) PART- I SPECIAL POSTS

13. General Manager (Engineering)

The words appearing in Column 7 are replaced with the following:

Essential:

- Full Time Bachelor's Degree (or equivalent, including dual degree programs) in Civil/Elec./Mech. Engg. Of minimum 04 years duration from AICTE / UGC recognized University or equivalent Institution.

OR

Passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India) in Civil/Elect./Mech. Engg.

AND

- Minimum 10 year's experience of Civil/Elec./Mech. Engg. Works out of which:
 - Minimum 04 years experience in IDA pay scale 80000-220000 (E5) (or higher)

OR

 - Minimum 04 years experience in Level 12 of CDA pay scale (or higher)

Desirable:

- (1) Master's Degree in Civil/Elec./Mech. Engg. From AICTE / UGC recognized University / equivalent Institution with specialized knowledge of design and construction of Food Grain Godowns / Roads / Building Projects / Food Grain SILOs, etc.
- (2) Persons who have held independent charge of Engineering Division of Industrial Establishments / PSU and have had experience of planning and execution of projects will be preferred.

(b) PART- IX – ENGINEERING CADRE**1. General Manager (Engineering)****Essential:**

- (1) Full Time Bachelor's Degree (or equivalent, including dual degree programs) in Civil/Elec./Mech. Engg. Of minimum 04 years duration from AICTE / UGC recognized University or equivalent Institution.

OR

Passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India) in Civil/Elect./Mech. Engg.

AND

- (2) Minimum 10 year's experience of Civil/Elec./Mech. Engg. Works out of which:
 - (a) Minimum 04 years experience in IDA pay scale 80000-220000 (E5) (or higher)

OR

- (b) Minimum 04 years experience in Level 12 of CDA pay scale (or higher)

Desirable:

- (1) Master's Degree in Civil/Elec./Mech. Engg. From AICTE / UGC recognized University / equivalent Institution with specialized knowledge of design and construction of Food Grain Godowns / Roads / Building Projects / Food Grain SILOs, etc.
- (2) Persons who have held independent charge of Engineering Division of Industrial Establishments / PSU and have had experience of planning and execution of projects will be preferred.

M. K. GOGOI, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./104/2022-23]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

SL. No	Title	Dated
1	FCI(Staff) (5 th Amendment) Regulations, 2021	08.12.2021
2	FCI(Staff) (6 th Amendment) Regulations, 2021	15.12.2021
3	FCI(Staff) (7 th Amendment) Regulations, 2021	30.12.2021
4	FCI(Staff) (8 th Amendment) Regulations, 2022	24.01.2022